भारत संघअपीलार्थी

बनाम

अनूप कुमार रॉय ...प्रतिवादी

(निर्णय की तारीख जुलाई 19, 2006)

(न्यायाधिपति अरिजीत पसायत, अल्तमास कबीर, न्यायाधिपति)

सेवा कानूनः वेतनमान-एक ज्ञापन द्वारा कर्मचारियों का प्रसार भारती अधिनियम से प्रभावित-अधिनियम के प्रवर्तन से पहले कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-सेवानिवृत्त कर्मचारी को ज्ञापन के तहत लाभ की पात्रता- अभिनिर्धारित किया गयाः चूंकि ज्ञापन के तहत लाभ उन कर्मचारियों को दिए जाने का इरादा था जो वर्तमान में प्रसार भारती की सेवा में थे, इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वेतनमान प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के उन्नयन के हकदार नहीं हैं।

प्रतिवादी-प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के प्रभाव में आने से पहले कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उच्च वेतनमान की मांगों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह न्यायाधिकरण से प्राप्त लाओं के हकदार हैं, यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि विभिन्न समन्वित पीठों का विचार है कि प्रतिवादी के रूप में स्थित कर्मचारी ज्ञापन से प्राप्त लाओं के हकदार नहीं हैं, बिना कोई कारण बताए, यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण के तहत लाभ का हकदार था, जिसे उच्च न्यायालय ने याचिका में बरकरार रखा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

- ज्ञापन के खंड 2 को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों को लाभ देने का विचार था जो प्रसार भारती में काम कर रहे थे या वर्तमान में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की सेवा में थे। इसलिए, प्रतिवादी वेतनमान के उन्नयन का हकदार नहीं था। [697 - ए]
- 2. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केंट) की गुवाहाटी पीठ ने विभिन्न पीठों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों को संदर्भित करने के बाद आगे की कार्रवाई की थी और अभिनिर्धारित किया कि केंट की समन्वित पीठ का हिण्टकोण इस पर बाध्यकारी था; और वह मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होता है। इसका कोई कारण नहीं दिया गया कि उसने यह क्यों सोचा कि प्रतिवादी उक्त दृष्टिकोण के बावजूद लाभों का हकदार था। [697 बी -सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील संख्या. 2823/2005

(गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.4.2004 से, याचिका (सी) संख्या 2882/2004 में।)

अपीलार्थी की ओर से राजीव शर्मा और विजय एम. चौहान। प्रतिवादी के लिए डी. एस. भट्टाचार्य और देब प्रसाद मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था-

यूनियन ऑफ इंडिया ने इसकी वैधता पर प्रश्न उठाया है प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ (संक्षेप में 'कैट') की गुवाहाटी पीठ द्वारा पारित आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए निर्णय दिया।

विवाद एक बहुत ही संकीर्ण दिशा के भीतर है।

प्रत्यर्थी में पारेषण कार्यकारी के रूप में काम कर रहा था। सरकार का प्रसारण मंत्रालय नवंबर 1997, आकाशवाणी प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (संक्षेप में 'अधिनियम') मंत्रालय का एक हिस्सा था, जिसे एक निगम के निर्माण के लिए निर्धारित तिथि जो कि 23.11.1997 है, से अधिनियमित किया गया था। प्रत्यर्थी ने 31.7.1997 पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में काम करने वाले कर्मचारियों से जब भी केंद्र सरकार से प्रसार भारती में स्थानांतरण का विकल्प चुना, इन मामलों में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। 23.11.1997 से क्छ कर्मचारियों को प्रसार भारती में प्रतिनिय्क्ति पर भेजा गया माना गया था। क्छ कर्मचारियों द्वारा उच्च वेतनमान की मांग थी, जिस पर विचार करते ह्ए 25.2.1999 का ज्ञापन जारी किया गया , प्रत्यर्थी ने कैट के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह उपरोक्त ज्ञापन दिनांक 25.2.1999 से प्राप्त लाभों का हकदार है। मूल आवेदन में प्रत्यर्थी यानी वर्तमान अपीलकर्ता ने एक सकारात्मक रुख अपनाया कि भारत सरकार जारी ज्ञापन दिनांक 25.2.1999 से मिलने वाले लाभ सूचना और प्रसारण मंत्रालय केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध था जो मूल आवेदन की स्नवाई की तारीख पर काम कर रहे थे, कैट के समक्ष मूल आवेदन की स्नवाई के लिए कैट की विभिन्न पीठों द्वारा पारित कई आदेशों को इसी

तरह के विचार रखते हुए रखा गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उत्तरदाताओं के रूप में समान रूप से स्थित व्यक्ति ज्ञापन दिनांक 25.2.1999 से प्राप्त लाभों के हकदार नहीं थे। विवादित निर्णय दिनांक 20.12.2002 द्वारा, गुवाहाटी पीठ ने कहा कि आवेदक जो 1997 तक सेवा में था, वह ज्ञापन दिनांक 25.2.1999 के पैरा 2 के खंड (iv) में उल्लिखित लाभों का हकदार था।

कैट की गुवाहाटी पीठ ने अपने फैसले में, जिस पर उच्च न्यायालय के समक्ष विरोध किया गया था, कहा कि प्रधान पीठ, कैट का पहले का फैसला स्पष्ट रूप से उस पर बाध्यकारी था, जिसने कानून में इस स्थिति को नोट किया था, जो हमारे अनुसार सही है, ट्रिब्यूनल अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेदक जो 1997 तक सेवा में था, वह लाभ का हकदार था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गयी, जिसमें दिए गए आदेश में कहा गया था कि ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई खामी नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ज्ञापन को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह केवल मौजूदा अधिकारियों के लिए उपलब्ध है अर्थात उन लोगों के लिए जो वर्तमान में सेवा में है, चूँकि प्रत्यर्थी ने 23.11.1997 के प्रसार भारती निगम के अस्तित्व में आने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी, इसलिए दावा किए गए लाभ नहीं दिए जा सकते।

दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि लाओं का निर्धारण बातचीत के आधार पर किया जाता है, इरादा स्पष्ट है कि जो लोग किसी भी समय आकाशवाणी या प्रसार भारती में काम कर रहे थे, वे लाओं के हकदार थे।

दिंनाक 25.2.1999 के ज्ञापन का खंड 2 (i) को नोट करने की आवश्यकता है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि प्रसार में काम करने वालों से संबंधित कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के लिए वेतनमान का उन्नयन, माना जाता है कि प्रतिवादी 25.2.1999 पर न तो आकाशवाणी या दूरदर्शन में काम कर रहा था। खंड 2 और 4 में संदर्भित "उन्नयन का उल्लेख इस प्रकार है:

- "2. उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित संशोधित वेतनमान का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः
- (i) उन्नत मानकों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में अनुमित नहीं दी जाएगी। स्वयं लेकिन वर्तमान में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की सेवा में सरकारी कर्मचारियों के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम कर रहे कर्मचारियों को अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, वे कर्मचारियों को प्रसार भारती का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे सरकारी कर्मचारियों के रूप में वापस आ जाएंगे और अब उपरोक्त वेतनमान के हकदार नहीं होंगे, उन्हें उन सभी लाभों को

भी वापस करना होगा जो उनके द्वारा प्राप्त किए गए हैं वे ऐसे सभी लाभों की वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे। इस आशय का लाभ प्राप्त करने से पहले प्रत्येक संबंधित कर्मचारी को अनुबंध - ॥ में दिए गए प्रारूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्नत वेतनमान. यह केवल इसी शर्त पर इन उन्नत वेतनमानों का लाभ उठाने के लिए सरकार के साथ उनके समझौते के अन्रूप है।

(ii) उन्नत वेतनमान 1.1.1998 से प्रभावी होगा लेकिन कर्मचारियों को वेतनमान के उन्नत मानकों के अनुसार वेतन का भुगतान 1 मार्च, 1999 से किया जाएगा

(iii) XX

(iv) इसके अलावा, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के उन कर्मचारियों का वेतन जो 1.1.1978 या उसके बाद ट्रांसिमिशन एक्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे, वेतनमान में काल्पिनक रूप से तय किया जाएगा। 1.1.1978 से 550-900 रुपये और 1.1.1998 को उन्नत वेतनमान में उनका वेतन तय करने से पहले 1.1.1988 से 200-3200 रुपये के वेतनमान में। लेकिन सरकार के साथ उनके समझौते के अनुसार, इससे वे 1.1.1996 से पहले की अविध के लिए किसी भी बकाया भुगतान के हकदार नहीं होंगे और 1.1.1996 को उनके वर्तमान वेतन के निर्धारण तक ही सीमित रहेंगे।

वेतन के उन्नत मानकों में वेतन निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा - जो सीसीएस (आरपी) नियम, 1997 में प्रदान किया गया है।

4. उन्नत वेतनमान का लाभ केवल मौजूदा कर्मचारियों को ही मिलेगा और जो नई सीधी भर्तियां इन आदेशों को जारी करने के बाद शामिल होंगे वे इन मानकों के हकदार नहीं होंगे, बल्कि वे सभी पांचवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों द्वारा शासित होंगे। मौजूदा अधिकारियों की पदोन्नति केवल उन्नत वेतनमान पर की जाएगी।"

(जोर देने

के लिए रेखांकित)

प्रावधानों को पढ़ने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उन लोगों को लाभ दिया जाना था जो प्रसार भारती में काम कर रहे थे या वर्तमान में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की सेवा में थे। रेखांकित किए गए शब्दों में कोई संदेह नहीं है, इसलिए, प्रतिवादी वेतनमान के उन्नयन का हकदार नहीं था। ऐसा होने पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हम कुछ हद तक निराशा के साथ देखते हैं कि कैट की गुवाहाटी पीठ ने विभिन्न पीठों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का हवाला देने के बाद आगे बढ़कर यह माना कि सह- कैट की समन्वय पीठ इस पर बाध्यकारी थी और यह ज्ञापन मौजूदा कर्मचारियों पर लागू होता था। इसने कोई कारण नहीं बताया कि उसने

क्यों सोचा कि प्रतिवादी उक्त दृष्टिकोण के बावजूद लाभ का हकदार था।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय का विवादित आदेश को , कैट की गुवाहाटी बेंच
के आदेश की पुष्टि करते हुए, रद्द कर दिया है।

अपील स्वीकार की जाती है. लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास"के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा